

Order sheet [Contd]

case No: EX-A. -04 / 12

	Order or proceeding with signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
27-09-17	<p>आवेदक द्वारा श्री बी.एस. गुर्जर अधिवक्ता उप0। मदन विद्याराम, बृजलाल, सेवाराम एवं गुलाब अनु0। इस आदेश के द्वारा आवेदक/डिक्रीदार के आवेदन अंतर्गत धारा-05 अवधि विधान का निराकरण किया जा रहा है।</p> <p>आवेदक की ओर से व्यक्त किया गया है कि तलवाने के अभाव में उनका प्रकरण दिनांक 23.11.10 को निरस्त हो गया था। डिक्रीदार/आवेदक ग्रामीण परिवेश के तथा बिना पढ़े-लिखे होने के कारण अपने अभिभाषक से संपर्क नहीं कर सके। दिनांक 16.01.12 को वह अपने अभिभाषक के पास आया तो उसे जानकारी दी गई कि यह प्रकरण दिनांक 23.11.10 को निरस्त हो चुका है। तब आवेदक के द्वारा दिनांक 17.01.12 को नकल का आवेदन दिया गया। जिसकी</p> <p>नकल दिनांक 19.01.12 को प्राप्त हुई। फिर आवेदक को बुखार आ गया और एक महीने तक बुखार से पीड़ित रहा, तब दिनांक 24.12.12 को नवीन इजरा पेश किया। इस प्रकार इजरा पेश करने में बीमारी व अज्ञानतावश विलंब हो गया। उक्त विलंब को क्षमा किया जाकर इजरा को समयावधि के अंदर मान्य किए जाने की प्रार्थना की गई है।</p> <p>सुने जाने तथा प्रकरण का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि पूर्व की इजरा दिनांक 23.11.10 को निरस्त हुई थी और उक्त इजरा निर्णय एवं डिक्री 23.07.96 के संबंध में थी, जिससे स्पष्ट है कि प्रथम इजरा समयावधि में प्रस्तुत की गई थी, जो तलवाना समय पर प्रस्तुत न करने के कारण दिनांक 23.11.10 को खारिज कर दी गई। उसके पश्चात आवेदक/डिक्रीदार की ओर से उसी इजरा को पुनः सुनवाई में लिए जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत न करते हुए, नवीन इजरा दिनांक 21.02.12 को पेश की गई है। निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23.07.96 से 12 वर्ष की अवधि दिनांक 23.07.08 को होती है। वसूली के मामले में निष्पादन कार्यवाही के लिए लिमिटेशन 12 वर्ष की है।</p> <p>दिनांक 23.07.96 की डिक्री के संबंध में नवीन इजरा दिनांक 21.02.12 को प्रस्तुत की गई है जो लगभग 4 वर्ष के विलंब से है। यद्यपि दिनांक 23.11.10 तक पूर्व की इजरा लंबित होना बताया गया है।</p> <p>प्रकरण का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि पूर्व की इजरा में श्री जी.एस. गुर्जर अधिवक्ता डिक्रीदार की ओर से थे। इस मामले में भी प्रस्तुत वकालतनामे के अनुसार श्री जी.एस. गुर्जर एवं श्री बी.एस. गुर्जर अधिवक्ता का वकालतनामा संलग्न है। अतः ऐसी स्थिति में यह नहीं कहा जा सकता कि दिनांक 23.11.10 को इजरा को निरस्त होने की जानकारी पक्षकार अर्थात् डिक्रीदार हेमसिंह को नहीं थी। दिनांक 23.11.10 से समयावधि की गणना की जाए तो लगभग एक वर्ष तीन माह के पश्चात इजरा प्रस्तुत की गई है। आवेदक के द्वारा स्वयं का बीमार होना बताया है। परंतु इस संबंध में कोई मेडीकल दस्तावेज आदि पेश नहीं किए हैं। यहां तक</p>	

	Order or proceeding with signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleadings where necessary
	<p>कि डिक्रीदार की ओर से इजरा के साथ आवेदन अंतर्गत धारा-05 मर्यादा अधिनियम का भी प्रस्तुत नहीं किया गया था। इजरा प्रस्तुत करते समय भी विलंब का कोई कारण नहीं बताया गया था।</p> <p>अतः ऐसी स्थिति में यह मान्य नहीं किया जा सकता कि डिक्रीदार हेमसिंह को पूर्व की इजरा के निरस्त होने की कोई सूचना नहीं दी थी और वह बीमारी के कारण इजरा प्रस्तुत नहीं कर सका था। उसका बताया हुआ कारण सद्भावी नहीं है। अतः विलंब को क्षम्य नहीं किया गया। आवेदन निरस्त किया गया।</p> <p>चूंकि यह इजरा कार्यवाही समयावधि में प्रस्तुत नहीं की गई है अतः अवधि बाह्य होने के कारण खारिज की जाती है।</p> <p>मेमो ऑफ कॉस्ट तैयार की जावे।</p> <p>प्रकरण का नतीजा दर्ज कर प्रकरण अभिलेखागार में भेजा जावे।</p> <p>(मोहम्मद अजहर) द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश गोहद जिला भिण्ड</p>	